भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. 22
सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

अलवर में पर्यटन का विकास

22. श्री बालक नाथः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोविड-**19** महामारी के दौरान पर्यटन क्षेत्र में मंदी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस क्षेत्र को सुकर तरीके से चलाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस महामारी अवधि के दौरान पर्यटन उद्योग को हुई हानि की भरपाई हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की अलवर-राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग): पर्यटन क्षेत्र में कोविड **-19** महामारी से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) होटल, रेस्तरां, बैड एवं ब्रेकफास्ट/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड से सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर परिचालित किए गए हैं और व्यापार को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए **08.06.2020** को जारी किए गए हैं ।

(ii) होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणपत्रों की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को **30** सितंबर, **2020** तक बढ़ाया गया है ।

(iii) मंत्रालय ने कोविड-19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी किए गए दिशानिर्देशों/प्रोटोकॉल के मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए

मूल्यांकन, जागरूकता और प्रशिक्षण प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की है, जो होटल, रेस्तरां, बैड एवं ब्रैकफास्ट और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए है ।

(iv) यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों को आसान बनाने के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए परिचालन संबंधी सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं ।

(v) पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स की मान्यता को छह महीने के लिए अपने आप बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के लंबित होने पर छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है ।

(vi) पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए उपरोक्त कदमों के अलावा, भारत सरकार की अन्य एजेंसियों/मंत्रालयों ने आतिथ्य उद्योग की इकाइयों सहित अर्थव्यवस्था और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए ऋण अधिस्थगन, पीएफ अंशदान से छूट, अक्टूबर 2020 तक आय पर एकत्रित कर (टीसीएस) पर आस्थगन, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण आदि जैसे प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है ।

(घ) और (ड़): मंत्रालय घरेलू पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और विभिन्न स्थलों और पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहा है।

*****